भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2335

04.08.2025 को उत्तर के लिए

अपशिष्ट बैटरियों का निपटान

2335. श्री गुरजीत सिंह औजला :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर अमृतसर जैसे सीमावर्ती जिलों में, इलेक्ट्रॉनिक कचरे की अनियंत्रित और खतरनाक वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपशिष्ट बैटरियों से निकलने वाले विषैले द्रव को जल निकायों या मिट्टी में घोला जा रहा है, डंप किया जा रहा है या अवैध रूप से छोड़ा जा रहा है जिससे अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय और भूजल प्रदूषण हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो देश में अपशिष्ट बैटरियों के निपटान की जांच के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अनौपचारिक डंपिंग ग्राउंडों, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहां कबाड़ निपटान में विनियमन का अभाव है, का सर्वेक्षण, निरीक्षण या संपरीक्षण किया है; और

(ङ) इस संबंध में पुनर्चक्रण उपायों और प्रदूषण नियंत्रण सावधानियों का ब्यौरा क्या है और प्रमाणित पुनर्चक्रणकर्ताओं की पर्यावरण के प्रति क्या भूमिका है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए देश-व्यापी विक्रय संबंधी आंकड़ों तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत यथा अधिदेशित अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) की औसत उपयोग अवधि के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-अपशिष्ट सृंजन का अनुमान लगाता है। सीपीसीबी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश में उत्सर्जित ई-अपशिष्ट तथा एकत्रित, विघटित और पुनर्चक्रित / निपटान किए गए ई-अपशिष्ट का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	कुल सृजित ई-अपशिष्ट [टन/वर्ष]
2023-2024	12,54,286.55
2024-2025	13,97,955.59

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने पर्यावरणीय अनुकूल रीति से ई-अपशिष्ट का प्रबंधन करने, ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था स्थापित करने तथा ई-अपशिष्ट के अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में स्थानांतरण को सुकर और प्रणालीबद्ध करने के लिए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं। पंजाब राज्य में, सीपीसीबी के ईपीआर पोर्टल पर 46,450 टन प्रति वर्ष की पुनर्चक्रण क्षमता वाले आठ ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रक पंजीकृत हैं।

(ख) से (ङ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय अनुकूल रीति से प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में सभी प्रकार की बैटरियों, जैसा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां, पोर्टेबल बैटरियां, ऑटोमोटिव बैटरियां और औद्योगिक बैटरियां शामिल की गई हैं। इन नियमों के तहत, आयातकों सहित उत्पादकों के लिए अपशिष्ट बैटरियों के एकत्रण और पुनर्चक्रण या नवीकरण के लिए अनिवार्य ईपीआर संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत ईपीआर ढ़ांचे के अंतर्गत अपशिष्ट बैटरियों का निपटान लैंडफिल में किया जाना निषिद्ध है।

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत, उत्पादकों के लिए सीपीसीबी के पास पंजीकरण कराना तथा ईपीआर के अंतर्गत बाध्यताओं को पूरा करने की दिशा में एकत्रित और पुनर्चक्रित या नवीनीकृत अपशिष्ट बैटरियों और पिछले वित्तीय वर्ष में उत्सर्जित उपभोक्ता-पूर्व अपशिष्ट बैटरियों के संबंध में वार्षिक विवरणी दाखिल करना अधिदेशित किया गया है।

पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए संसाधित बैटरी अपशिष्ट के भार के आधार पर ईपीआर संबंधी प्रमाणपत्र तैयार करना अधिदेशित किया गया है। इसके अलावा, पुनर्चक्रणकताओं के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) के पास पंजीकरण कराना तथा विभिन्न उत्पादकों या इकाइयों से एकत्रित या प्राप्त प्रयुक्त बैटरियों की मात्रा, उनकी पुनर्चक्रित मात्रा, पुनर्चक्रण के बाद उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट या प्लास्टिक अपशिष्ट सहित खतरनाक और/या अन्य अपशिष्ट की मात्रा और ऐसी मात्रा के निपटान की सूचना के संबंध में तिमाही विवरणी दाखिल करना अधिदेशित किया गया है। पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है कि अपशिष्ट बैटरियों के लिए पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं और सुविधाओं में सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों या दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए।

सीपीसीबी ने खतरनाक द्रव-पदार्थों के सुरक्षित अपवाहन और इसके निपटान तथा अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसके पुन: उपयोग संबंधी उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए लेड एसिड बैटरी के पुनर्चक्रण हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं का पंजीकरण कराने तथा उत्पादक की ईपीआर संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है। वर्तमान में, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत देश में 437 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं। इन 437 पुनर्चक्रणकर्ताओं में से 40 पुनर्चक्रणकर्ता पंजाब राज्य से हैं।

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत, सीपीसीबी के लिए निरीक्षण और आवधिक संपरीक्षा के माध्यम से उत्पादक द्वारा किए गए अनुपालन का सत्यापन किया जाना अधिदेशित किया गया है। एसपीसीबी के लिए निरीक्षण और आवधिक संपरीक्षा के माध्यम से अपशिष्ट बैटरियों के नवीकरण और पुनर्चक्रण में शामिल संस्थाओं के अनुपालन का सत्यापन करना अधिदेशित किया गया है। सीपीसीबी ने संबंधित नियमों के तहत यथा अधिदेशित ई-अपशिष्ट और बैटरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रणकर्ताओं की संपरीक्षा करने के लिए तृतीय-पक्षकार संपरीक्षकों को पैनल में शामिल किया है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, ई-अपशिष्ट केंद्रों में अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी), निक्षालक नियंत्रण प्रणालियां, धूल निष्कर्षण एवं निस्पंदन इकाइयां और खतरनाक टुकड़ों के सुरक्षित भंडारण की सुविधाएं मौजूद हैं तथा वायु एवं अपशिष्ट की आवधिक निगरानी की जाती है। बैटरी-अपशिष्ट केंद्रों में स्पेंट एसिड रिकवरी और न्यूट्रलाइज़ेशन सिस्टम, पंक्तिबद्ध अपशिष्ट भंडारण, हवादार कार्य क्षेत्र, धूल दमनकारी उपाय और व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी नयाचार मौजूद हैं। इसके अलावा, पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 का कड़ा अनुपालन करते हुए ई-अपशिष्ट और बैटरियों से धातुओं का सुरक्षित एकत्रण, परिवहन, विघटन और उनकी पुनर्प्राप्ति, अम्लों का निष्प्रभावीकरण तथा खतरनाक अवशिष्टों का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करते हैं। वे जवाबदेही और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सीपीसीबी द्वारा विकसित ईपीआर पोर्टल पर विवरणियां भी दाखिल करते हैं।

*****